राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (M–लूज) अलेसे–1/ 634-635 दिनांकः– 14/07/25

आख्यात्मक आदेश

श्री महादेव प्रसाद मीना, (लिंक न. 9028), सेवानिवृत्त लेखाधिकारी द्वारा उन्हें 1987–88 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाकार के पद पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 726/2010 दायर की गई, जिस पर माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 11.11.2024 को आदेश दिये गये कि अपीलार्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। श्री मीना द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 10.12.2024 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होनें यह निवेदन किया है कि

विभाग द्वारा 1987 से 1995 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति समिति की बैठक आहुत की एवं वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र था परन्तु अपीलार्थी को अपेक्षित आदेश दिनांक 30.04.2010 द्वारा पदोन्नति हेतु उपर्युक्त नही पाया गया इसके विपरीत अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री कल्याण सहाय प्रत्यर्थी संख्या–3 जिसका वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 391 पर एवं योग्यता सूची में 492 नम्बर पर नाम अंकित था को पदोन्नति हेतु उपर्युक्त पाया गया। अपीलार्थी का कहना हैं कि उसको वर्ष 1987–88 के स्थान पर 1991–92 की रिक्तियों के विरूद्ध विचार किया गया जो अनुचित हैं अपीलार्थी एस टी श्रेणी से आता है एवं उसको भिन्न प्रकार से पदोन्नति पर विचार किया गया जाना चाहिए था परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया था। अतः अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा हैं कि आदेश दिनांक 30.04.2010 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को 1987–88 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाकार के पद पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं उसको जो परिनिन्दा का दण्ड दिया गया हैं उसकी अनदेखी करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 2008 "5" डब्ल्यू एल सी "राज0 699 रामलाल कसाडिया बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में उपरोक्त समस्त लाभ दिलाये जावें।

अभ्यावेदन के बिन्दुओं के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है।

1. कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1987–88 से 1991–92 में उपलब्ध रिक्तियों का पुन निर्धारण किये जाने के कारण वर्ष 1987–88 से 1991–92 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के पद पदोन्नति हेतु पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.12.1997, 20.12.1997 एवं 13.01.1998 को आयोजित की गई।

2. विभागीय रिकार्ड में श्री मीना को विभागीय आदेश दिनांक 09.04.1986 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने का अंकन होने के कारण, वर्ष 1987–88 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

3. वर्ष 1988–89 से 1990–91 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु तैयार की गई विस्तारित पात्रता सूची में श्री मीना का नाम अंकित नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 1991–92 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाकार के पद पर इनकी पदोन्नति कर दी गई।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं, उपलब्ध समस्त संबन्धित अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया इस संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आदेशों/निदेशों का भी अवलोकन किया गया एवं मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि उक्त वस्तुस्थिति के अनुसार श्री मीना की पदोन्नति वर्ष 1987–88 में नहीं की जाकर वर्ष 1991–92 की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी थी। जो कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के नियमानुसार सही हैं।

अतः माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 11.11.2024 की पालना में उक्त आख्यात्मक आदेश के द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (M–लूज) अलेसे–I/634-635 दिनांकः– 14/07/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्री महादेव प्रसाद मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, पता– ग्राम पोतली पोस्ट धर्मपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर (ग्रामीण)।
2. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)